बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–पी.पी.एम.–26 / 2009 (खण्ड–III) 3607 / कृ0, पटना, दिनांक 17.07.2015

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
द्वारा (+) वित्त विभाग, बिहार, पटना।

(+) अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

विषय : **बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को पूर्व में औपबंधिक रूप से सहायक अनुदान मद में स्वीकृत 992.86 करोड़ रू० को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के आलोक में संशोधित करते हुए वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक सहायक अनुदान मद में 1052.32 करोड़ रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन 70 लाख रूपये से अधिक निर्माण कार्यों में मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर योजना कार्यान्वयन करने, सभी भवनों को भूकम्परोधी बनाने तथा वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जनजाति के लिए वेतन मद में 5.71 लाख रूपये (पाँच लाख एकहत्तर हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

कृषि विभागीय राज्यादेश संख्या 2616 दिनांक 20.06.2014 के क्रम में निदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को पूर्व में औपबंधिक रूप से सहायक अनुदान मद में स्वीकृत 992.86 करोड़ रू० को विस्तृत परियोजना प्रस्ताव के आलोक में संशोधित करते हुए वर्ष 2011–12 से 2015–16 तक सहायक अनुदान मद में 1052.32 करोड़ रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय के अधीन 70 लाख रूपये से अधिक निर्माण कार्यों में मुख्य अभियंता (दक्षिण), भवन निर्माण विभाग से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर योजना कार्यान्वयन करने, सभी भवनों को भूकम्परोधी बनाने तथा वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने की स्वीकृति के अधीन वर्ष 2015–16 में अनुसूचित जनजाति के लिए 5.71 लाख रूपये (पाँच लाख एकहत्तर हजार रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. उक्त योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि 5.71 लाख रूपये (पाँच लाख एकहत्तर हजार रूपये) का व्यय मुख्य शीर्ष 2415 कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 01–फसल कृषि कर्म–लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उप योजना, मांग सं०–1, उपशीर्ष–0104–बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर, विपत्र कोड– P2415017960104 में वर्ष 2015–16 में विषय शीर्ष– 31 04 सहायक अनुदान वेतन मद मे उपबंधित 100.00 लाख रूपये से विकलनीय होगा।

3. निकासी हेतु स्वीकृत राशि 5.71 लाख रूपये (पाँच लाख एकहत्तर हजार रूपये) की निकासी मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को अनुदान के रूप में स्वीकृत राशि की निकासी बी०टी०सी०–42 पर की जायेगी, जिसके साथ बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर से पूर्व प्राप्ति रसीद संलग्न की जायेगी। विपत्र मे योजना का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर द्वारा उपयोगिता प्रमाण–पत्र कृषि विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी एवं इसकी प्रति महालेखाकार बिहार के कार्यालय को भेजी जायेगी। साथ हीं बिहार वित्तीय नियमावली के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता होगी। महालेखाकार, बिहार, पटना को उक्त स्वीकृत राशि के व्यय का अंकेक्षण का अधिकार रहेगा तथा विहित अंकेक्षण दल की यथा समय उनके निरीक्षण हेतु उपलब्ध करायेगा।

4. मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना संख्या 602 दिनांक 20.3.2007 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या–96 वि0 (2) दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–26/2009 (खण्ड–I) के 125/टि० पर प्राप्त है। वर्ष 2014–15 में निधि विमुक्त करने के प्रस्ताव में मंत्री, कृषि का अनुमोदन संचिका संख्या पी0पी0एम0–26/2009 (खण्ड–III) के 90/टि० पर प्राप्त है।

5. राज्यादेश प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति दिनांकः 10.07.2015 को संचिका संख्या – पी०पी०एम०–26/2009 (खण्ड–III) के पृ0सं0– 91/टि. पर संधारित है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3607 /कृ0, पटना, दिनांक 17.07.2015

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3607 /कृ0, पटना, दिनांक 17.07.2015

प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3607 /कृ0, पटना, दिनांक 17.07.2015

प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3607 /कृ0, पटना, दिनांक 17.07.2015

प्रतिलिपि : कुलपति, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर/नियंत्रक, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3607 /कृ0, पटना, दिनांक 17.07.2015

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/ मुख्य लेखा पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना/कृषि विभाग के मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय,कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।